संदर्भ सं / Ref. No:-- **दिनांक / Date:**01-06-2022

<u>प्रेस प्रकाशनी / Press Release</u>

बीमा उत्पादों के अनुमोदन अब आसान
Insurance product approvals made easy

-व्यवसाय करने की सुगमता की ओर एक कदम
-stepping towards Ease of doing business

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने पूर्णतः बीमाकृत भारत की दिशा में प्रारंभ की गई सुधारों की कार्यसूची के अनुरूप सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों और प्रायः सभी साधारण बीमा उत्पादों के लिए `यूज़ एण्ड फाइल' प्रक्रिया का विस्तार किया है। यह वर्तमान व्यवस्था से जिसमें उत्पाद प्रारंभ करने के लिए पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, उस व्यवस्था की ओर पुरोगमन है जहाँ उत्पाद किसी पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारंभ किये जा सकते हैं तथा यह बीमा क्षेत्र में व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने की दिशा में उन्नति का एक सोपान है।

यह परिकल्पित है कि इन पहलों से बीमा उद्योग एक समयबद्ध तरीके से उपयुक्त उत्पाद प्रारंभ करने में समर्थ होगा। यह प्रत्याशा की जाती है कि बीमा उद्योग आवश्यकतानुरूप और नवोन्मेष उत्पाद प्रारंभ करने एवं बाजार की गतिशील आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए पालिसीधारकों को उपलब्ध विकल्पों का विस्तार करने के लिए इस अवसर का उपयोग करेगा, जिससे भारत में बीमा व्यापन में वृद्धि करने में आगे और सहायता मिलेगी।